न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 07/2018 ::

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी:–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

दिनेश पुत्र शंकरलाल सिंधी, निवासी 26, राजीव गांधी कॉलोनी, पाली हाल संचालक मैसर्स दिनेश स्वीट एण्ड नमकीन, मिल गेट के सामने, पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री प्यारे खान

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 23/10/18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. दिनेश स्वीट एण्ड नमकीन, मिल गेट के सामने, पाली (राज.) वक्त निरीक्षण दिनांक 10.04.2018 को मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें एक में 3.500 किग्रा गैस भरी हुई तथा एक खाली का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु मय जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ पाली शहर स्थित मैसर्स दिनेश स्वीट एण्ड नमकीन, मिल गेट के सामने, पाली (राज.) पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री दिनेश पुत्र शंकरलाल सिंधी उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह प्रतिष्ठान का संचालक है तथा उसके पिता शंकरलाल मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री अजयसिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी 25, सुभाष नगर पाली (राज.) की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें से एक में 3.500 किग्रा गैस भरी हुई तथा एक खाली पाये गए। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स बी.के. एन्टरप्राईजेज, पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पवनकुमार पुत्र गोपाराम, निवासी 187, महाराणा प्रताप नगर, पाली हाल गोदाम कीपर मैसर्स बी.के. एन्टरप्राईजेज, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरो को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब एवं वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान एवं मकान एक ही है। प्रवर्तन निरीक्षक एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.2018 को उसके घर में से दो गैस सिलेण्डरों को जब्त कर दिए। यह गैस सिलेण्डर उसने अपने निजी उपयोग हेतु

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

इण्डेन गैस कम्पनी से कनेक्शन ले रखा है। अप्रार्थी अवैध गैस रिफिलींग का कार्य नहीं करता है न ही उसे अवैध घरेलू गैस बेचाण करते हुए पकड़ा गया है। अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन नहीं किया है तथा न ही उसके विरूद्ध उक्त धारा में कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उपरोत सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सामग्री के संबंध में विनम्र भाव रखते हुए सिलेण्डर रिलीज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें एक में 3.500 किग्रा गैस भरी हुई तथा एक खाली उनके व्यावसायिक परिसर मै. दिनेश स्वीट एण्ड नमकीन, मिल गेट के सामने, पाली (राज.) में पाये गये। प्रार्थी को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से घरेलू गैस के सिलेण्डर प्राप्त हुए है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए तथा न ही इस संबंध में न्यायालय में अपने जवाब के साथ कोई दस्तावेज पेश किए गए है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर को घरेलू उपयोग नहीं लिए जाकर उनका अपने प्रतिष्ठान में व्यावसायिक उपयोग करता था। जो विधी विरूद्ध कृत्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है, लेकिन उनके द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करया है या नहीं। न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तसुदा माल को ही निस्तारण करना है। इसलिए आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ या नहीं, इसकी जांच आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री दिनेश द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से जब्तसुदा दो घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें एक में 3.500 किग्रा गैस भरी हुई तथा एक खाली पाये गए को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को तथा एक रिफिलींग नली को नीलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 23/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली